परिवहन विभाग

कार्यालय परिवहन आयुक्त, हरियाणा

30 बेज़ बिल्डिंग, दूसरा तल, सेक्टर 17 बी चण्डीगढ़–160017
ई–मेलः stcharyana@hry.nic.in, वेबसाईटः www.haryanatransport.gov.in
दूरभाषः 0172–2784359, फैक्सः 0172–2700510

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 27.04.2012 से पूर्व सभी पंजीकृत वाणिज्य और अवाणिज्य वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया था परन्तु इनकी पालना संबंधित वाहन स्वामियों के द्वारा नहीं की जा रही है। यह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पुराने और नए सभी प्रकार के वाहनों पर लगना अति अनिवार्य किया गया है। इसके नहीं लगे होने के कारण वाहन चोरी तथा अपराध में शामिल होने की सम्भावना अधिक बढ़ जाती हैं। हरियाणा परिवहन विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.04.2017 के द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177 के अन्तर्गत वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगे होने पाये जाने पर 500/1000 रूपये जुर्माना किए जाने का प्रावधान है।

यह रजिस्ट्रेशन प्लेट आप अपने जिले के संबंधित अधिकृत डीलर/वर्कशॉप/निवासी कल्याण संघ के माध्यम से और संबंधित उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कार्यालयों तथा लिंक उत्सव रजिस्ट्रेशन प्लेटस प्राईवेट लिमिटेड़ के केन्द्रों पर लगवाई जा सकती है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका 510/2005 के अनुसार सभी प्रकार के पुराने व नएं वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अति आवश्यक किया गया है जिसकी पालना कराने के लिए सरकार भी अति गम्भीर है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आप अपने वाहन की सुरक्षा के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट दिनांक **14.06.2018** से पूर्व लगवाना सुनिश्चित करे। उक्त तिथि उपरान्त प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177 के अन्तर्गत संबंधित वाहन में यह प्लेट न लगाए जाने पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत चालान किए जाएगें।

हस्ता/–
परिवहन आयुक्त, हरियाणा।